Attachment :- 1.1



Office of the Executive Engineer

P.M.G.S.Y. Division, P.W.D. Karanprayag (Chamoli)

Phone/Fax- 01363-244103

E-Mail- eepmgsykaranprayag2@rediffmail.com

Address-

Near J.K. Laxmy Lodge

Karanprayag Distt.- Chamoli Uttrakhand- 246 444

No.-

Date-

To Whom It May Concern to

Name of the Work- Diversion of 4.97 Hectare of Forest Land in favour of Rural Development Department for construction of Gauchar to damhdama Motor Road under PMGSY.

It is to state that Mr. Vinay Jhinkwan, Assistant Engineer, PWD, PMGSY, PIU- Karanprayg-2 is being authorized to make online submission of Forest Clearance Proposal for the Project as mentioned above on behalf of PMGSY PIU-Karanprayag-2, i.e., user agency.

m3Az

(Narendra singh)
Executive Engineer
P.W.D. PIU-PMGSY,
Karanprayag-2
District-Chamoli

Attachment :- 1.1



Office of the Executive Engineer P.M.G.S.Y. Division, P.W.D. Karanprayag (Chamoli)

Phone/Fax- 01363-244103

E-Mail- eepmgsykaranprayag2@rediffmail.com

Address-

Near J.K. Laxmy Lodge

Karanprayag Distt.- Chamoli Uttrakhand- 246 444

No.-

Date-


To Whom It May Concern to


Name of the Work- Diversion of 4.97 Hectare of Forest Land in favour of Rural Development Department for construction of Gauchar to damhdama Motor Road under PMGSY.

It is to state that Mr. Vinay Jhinkwan, Assistant Engineer, PWD, PMGSY, PIU- Karanprayg-2 is being authorized to make online submission of Forest Clearance Proposal for the Project as mentioned above on behalf of PMGSY PIU-Karanprayag-2, i.e., user agency.

M3AE

(Narendra singh)
Executive Engineer
P.W.D. PIU-PMGSY,
Karanprayag-2
District-Chamoli





Attachment 1.4 डिजिटल मैप – जनपद चमोली में पी०एम०जी०एस०वाई० योजना के अन्तर्गत गोचर से डमडमा मोटर मार्ग (लम्बाई 26.60 किमी0) जिलाधिकारी 79° 7'4.21"E 30°16'36.83"N 79° 8'30.91"E 30°16'24.09"N Angoth 79° 7'0.67"E 30°15'51.86"N 79° 7'52.92"E 30°16'31.64"N Dua Sindwani 79° 8'13.51"E Civil 4.463 ha 30°16'19.14"N 79° 8'13.79"E Kanda 30°16'12.38"N '9° 5'32.82"E Sindwani Bartoli Dandagwar Damdama 79° 6'58.15"E 30°15'31.16"N Damdama 79° 5'34.93"E 30°14'22.18" 79° 5'20.74"E Bameli 30°13'59.56"N सहायेख आभयन्ता प्रामीप अभियान्त्रण सेवा विभाग एनठ जी० एस० वाई० Dumping Zone पेत पी.एम.जी.एटा कई Proposed Duwa to Damdma M/R. Gochar to Duwa M/R Existing Road roposed Duwa Kink उपान्य न्यूर्णात् Rishikesh - Badrinath Highway

Proposed Plantation Civil Land

alternate aliquent

roposed Angoth Link

Attachment-1.5

Name of the Project: Construction of Gauchar to damhdama Motor Road under PMGSY.

Description of the Land Required-

The total length of the road is 16.60km.

The description of the land required for the road is as under-

Private land – 9500 m x 7 m = 66500 sq.m. = 6.650 Hectare.

Reserve Forest land – 1900 m x 7 m = 13300 sq.m. = 1.330 Hectare.

Civil Land – 5200 m x 7 m = 36400 sq.m. = 3.640 Hectare

Hence Forest Land Required to be diverted for the Construction of Road

= (1.33 + 3.640) Hectare

= 4.97 Hectare.

It is to mention here that Village Damhdama is the last targeted habitation in this reach under PMGSY and no further construction of the road shall be required in this area.

Status of Tree felling-

The number of trees required to be felled in the proposed alignment of the road is 937 numbers. Out of total 937 number of trees, 23 numbers of trees are of 0-10 diameter, 291 numbers of trees are of 10-20 diameter, 253 numbers of trees are of 20-30 diameter, 163 numbers of trees are of 30-40 diameter, 112 numbers of trees are of 40-50 diameter, 50 numbers of trees are of 50-60 diameter, 40 numbers of trees are of 60-70 diameter, 05 numbers of trees are of 70-80 diameter, 00 numbers of trees are of 80-90 diameter and 00 numbers of trees are of above 90 diameter.

Brief Description of the Road-

The proposed road is for providing the connectivity to the village Duwa with a population of 286, village Kanda with a population of 212, village Bartoli with a population of 169, village Angotha with a population of 136, village Tualsain with a population of 52, village Majhkhola with a population of 281 and village Damhdama with a population of 345, village Bameli with a population of 39. Thus the total population being benefited with this road is 1520 and the road shall provide connectivity to 08 number of villages. The road is located in Block-Karanprayag, District- Chamoli (Uttarakhand). The road passes through Reserve Forest land, Private Land and Civil Land. The total length of the road is 16.60km.

Necessity of the Project and Justification for locating the Project in Forest Area-

Presently the villagers (08 number of villages with a total population of 1520) have to walk through a distance of 5 to 12 km to meet their daily needs, as there is no road connecting the

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. DIV
PW.D Karanprayag (Chamoli)



6

village. Due to the non-existent of any road connectivity, the life of the villagers is in constant danger as there are no medical services which could be provided to them even in cases of emergency such as maternity.

Further, due to non-existent of the road connectivity the area remains backward in all respects. The main occupation of the villagers residing in this village is animal husbandry and agriculture. The villagers are forced to carry their cultivated crops such as *Haldi, Adrak, Mirch, Lehsoon, Dhan, Gehun, Aaloo* etc. on their feet or by mules to the nearby market.

If the road connectivity is provided to the villagers it shall enhance the social and economical development of this area and migration of people from the village shall be minimized. The forest land area falling in the proposed alignment of the road which is 4.97 Hectare has been surveyed to the minimum and also the alignment of the road has been proposed in such a manner that there shall be a minimum of tree felling. Other than the proposed alignment for the road, there is no such alignment which shall reduce the diversion of forest area or felling of the trees. The overall width proposed for acquiring of the land is 7.00m and the construction of the road shall be carried out in a width of 6.00 in straight reaches. The Geological Investigation along the proposed alignment has been carried out which also states that the proposed alignment of the road is safe for construction. There are no graveyards, religious, historical / monumental or legendary places falling in the proposed alignment of the road.

In view of the above facts and in public interest, it is requested that the Forest Land area of 4.97 Hectare may kindly be diverted for the construction of the road.

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. DIV
PW.D Karanprayag (Chamoli)

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. DIV
PW.D Karanprayag (Chamoli)

Attachment- 1.6

Annexure-I

FORM-I

(For Linear Projects)

Government Of Uttarakhand

No. R- 453/6 ad/G-3

Dated- 27-12-2014

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.97 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Department, Uttarakhand for Construction of Gauchar to damhdama Motor road under PMGSY in Chamoli district falls within jurisdiction of Angodha, Duwa, Kanda, Bartoli, Majkhola, Taulsain, Dada, damhdama, Bameli villages in Karanprayag Tehsil.

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.97 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23.(A).
- (b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha(s) have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

District Magistrate - cum -Chairman, District Level Committee, Chamoli

Annexure -23-(A)

Office of the District Collector,

District-Chamoli (Uttrakhand)

<u>Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes</u>
<u>& Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006</u>

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

District Magistrate Chamoli

9

"प्रपत्र-23-2"

परियोजना का नामः— प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गौचर — डमडमा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति— कर्णप्रयाग

उपखण्ड— कर्णप्रयाग / परिक्षेत्र के अन्तर्गत गौचर — डमडमा मोटर मार्ग हेतु आरक्षित वन भूमि— 1.330 है0, सिविल वन भूमि— 3.640 है0 कुल 4.970 है0 का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति तहसील— कर्णप्रयाग की दिनांक /31—12—14/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीमती...... उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानसार है—

1	श्रीमती ड्रांश्याहान	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	श्री नेर्ट्र जाल	उपप्रभागीय वनाधिकारी/ वन क्षेत्राधिकारी	सदस्य
34,-	श्री महिपालिस्ट व्यक्तीपी श्रीमालद्वत स्वरंगीली	सहा० समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव स्मदस्य रादस्य
4	श्रीमती विमत्नोद्यी	बीठडीठसीठ क्षेत्र प्रमुखतापुर्व श्रीमती विमृता देवी भारत्वस्य सदस्य	सदस्य सदस्य
		क्षेत्र पंचायत मधाखोला (पंचीली)	tel and single

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि गौचर—डमडमा मोटर मार्ग परियोजना हेतु 4.970 है0 भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्य के समक्ष रखा गया। ग्राम समा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम समा द्वारा सर्वसमम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग केदारनाथ (गोपेश्वर) द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/ आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। गौचर — डमडमा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.970 है0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसीलिकाकेन्द्रयाग जनपदि

प्रतिलिपि - जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील– कर्णप्रयाग जनपद– चमोली।

(II)

परियोजना का नामः— प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गौचर—डमडमा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण। दिनांक ... ३ १-१२-१४... उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

जनपद- चमोली।

1	श्रीमती किश्म याहान	उपजिल	गाधिकारी		अध्यक्ष	ह0	
	3/2/ 11/21/					1	1
2	श्री उरिद्धलाली	उपप्रभा क्षेत्रधिव	गीय वनाधिव गरी	गरी / वन	सदस्य दुर	गीय वनावि	- पकारी
3	श्री मोहनातें ह मण्यरी	सहा0	समाज कल्या	ण अधिकारी	गीचर सदस्य/ सचिव	ग्रंप वन प्र	भाग
		ਰੀਹਰੀਹ	सी0 क्षेत्र पंच	ana	सदस्य		
4	श्री विभलादेवी	बाठलाठ	सां क्षेत्र प	चित्रतादुरी	100	राष्ट्रिय	. दुव
			7(1)	रावस्था	े निटाइए-प	णिप्रयाग (estimal.
S	+ HEUMKIE -	वन		वत मंडहोडा (प्रचेत	ल क्स्य	1.8	sei.
6.	यी मलक्त	•/	tt	17	सदस्य	Monks	dil
7	el Ful ezalmidal	Ŋ	-11	100	1004	्रु शी	n Rida

	TITT TIMIT	TITE TIME	7777 77077	
	ग्राम सभा	ग्राम सभा	ग्राम सभा	ग्राम सभा
	1	2	3	4
900	अगोथ ,दुवा	सिन्द्रवाणी ,काण्डा	डमड़मा	बर्तोली
(E)	Haroldy To	TO SECULIAR STATES	TO DENY PILE THE THE THE THE THE THE THE THE THE TH	* Ro.
1	विनाक । [3] गरे गरे	हैं। कर्णप्रयाग चिमीही	केंग्रज्ञ क्रणप्रयाग (व	क्रिया कर्णाप्यान (च
	केई वैचारहरू ई-1, दुवा वे0िक चार्गप्रयोग (चमाली)		श्रीमती विमला हेवी सवस्था सवस्था	***
	98.			

परियोजना का नाम:— प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गौचर — डमडमा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापित्त प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत का नाम:— तहसील कर्णप्रयाग, जनपद — चमोली। अनापित्त प्रमाण पत्र

जनपद चमोली उत्तराखण्ड में गौचर — डमडमा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि आरक्षित वन भूमि— 1.330 है0, सिविल वन भूमि— 3.640 है0 कुल 4.970 है0 का ग्राम्य विकास विभाग / संख्या के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत.....द्वा द्वारा दिनांक 13/12/2014 को सम्पन्न ग्राम समा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित समी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

वर्चा के उपरान्त ग्रामसमा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम...... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 4.970 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हैं।

ह**्या** सचिव

क्षेत्र पेनागल -1. द्वा वेश्यक विश्वतिकार (वधाली)

नोट:— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र- 23.1

दिनांक 15/12/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति। ग्राम पंचायत का नाम:-

क.सं.	ग्रामसमा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	0, 4 0,	18 Oardur
2-	ग भी सिंह इ. ग भीन सिंह	
3-	ग मग्ति। सह अ ग व्याती। सिंह	aght.
4-	ग सुरेन्द्र सिंह न ग गानिपाल सिंह	- Sevenel
5.	ग जातासह डा.ग उदयासह	W (120
6-	" समाना इ. " दरमाना एट	0 00
7.	" होरिया सिंह इ." द्यान सिंह	\$12(12C)
8.	ा अभवाल सिंह अ,, राम सिंह	JANUARI THE
9.	" व्रशामि न भीर सिंह	उर ालह
10-	" भगत सिंह इ. " सहादुर सिंह	BUT
11-	ग गोपलिसाल भाग नुस्रीलिस	गांप लि
12.	ा, आमतासह अ, सरेन्द्रासह	Amplendo
13-	ग न्द्रिमित्र स्रोजनीदिन प्राच्यासिट	सराजग
14.	गर्ने स्वरी देवी थ्या, गर्निन्द सिंह	
15	ा आशा देवी थ्या महानीर सिंह	311×1
16-	" आवले देवी ज्याहीटाना सिंह	यावना है
17-	11 राजेश्वरा का भा, बलवन्त सिंह	Desc
18-	ं गुडडो देवा का प्राचीर पिंह	
19-	ा कमला देवी जा. शिवासिंह	Ana)
20-	1) न्यन्द्राहेकी प्जा. सिताब्रापिष्ट	To The state of th
21-	ा विशामिति जा, जीत सिंह	1991
22-	ा, क्रिया देवी २०१. स्ट्रामा सिंह	70
23-	ग विप्तिदेव का स्थिप्पाल सिंह	1 gyarz bon
24.	"मरस्वता देवा रहा हारमा सह	2-128000
25.	ं योक्सासिं आ, ा जीत पाल सिंह	feelegi .
26.	ग मस्तान लिं अ. ग अदम निर्द	ALMIN TOE
27.	ग मनवर विहं अ. गर्भवरा सिंह	ATORIU MAIO
2A	11 मनवर तिह दी। प्रवर सिंह प्रकार के प्रमानिक कि प्रिकारिक	* angelle
	Komun's Komun's	3 Manual S
	विनाक पुरा पर 14	
	क्षेत्र पेब्राइ - 1 त्वा	

परियोजना का नाम:— प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गौचर — डमडमा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापित्त प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत का नाम:— तहसील कर्णप्रयाग, जनपद — चमोली। अनापित्त प्रमाण पत्र

जनपद चमोली उत्तराखण्ड में गौचर — डमडमा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि आरक्षित वन भूमि— 1.330 है0, सिविल वन भूमि— 3.640 है0 कुल 4.970 है0 का ग्राम्य विकास विभाग/ संख्या के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ज़ुना हारा दिनांक। 3/12/2014 को सम्पन्न ग्राम समा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

वर्चा के उपरान्त ग्रामसमा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम अंगित के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 4.970 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हैं।

ग्राम सचिव

चें विष्या-कर्णायाण व्यानि

सदस्य भेज वैचायत् वार्ड-1, दुवा विक्रखा किंग्रवांग (चवोली)

नोट:— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र- 23.1

दिनांक 13/12/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति। ग्राम पंचायत का नाम:-

क.सं.	ग्रामसमा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	. 2.	3-1-9-1727
2.	11 केनर १९६ अ. 11 वर्गासिंह	(Alex
3-	ं स्राइ एड इं। " प्नम सिंह	3
4:	, दरमानाएड है। » बेट्यन रिष्ट	CETONO Lo
5.	,, न्यन्द्रिष्टि कु. , नत्या सिंह	Cert
6-	" सानन्द सिंह इ. " राम सिंह	311-7-6
7-	,, ताज्ञार सिंह हा ग मस्तान सिंह	To.
8.	" वहरासिंह द्या वहरासिंह	र्यूयासि ह
9-	अझामती विद्याम्बरी की जा गां बेजमा सिंह।	1
10-	ग पुरवादेश प्लान जंगमहन खिंह	(gay)
11-	" क्यान्ति देव भाग । विरे द्वा विक विस्ता देव	14410
12-	" रवणादेवी ग्रा विक्रम वि	2197597
13-	" प्यान्या थीं । सिर्म्हिल	097(20)
14.	" न्येतावंबी रुगः फर्तास्ट न्य तीद्रार	वितादन।
15-	" राज्यवर्गिका भी " हिं बरानिहरू	राजारवाश द्वा
15	= 9/44/9 E 5/0 169/1/1/CC	Bescaled
16-	, ज्यामति देवा पर्क , अधामास्ट	
17	11 21 429K 39 MIP 21 21 19 186	> / (
18	" 22 (1) 52 W/ (& 4) 1 (& 5)	
		<u> अराज्यवरास्य</u>
		सारिताद्वा
	e light	
	X X	1
		i ka
/ 41ª	TD to the same of	
ES	1 Tamor 1	
11 4 (0	WARD	

सदस्य सेत्रं पंचागत वार्ड-1, दुवा विवर क्रिजीयाग (चमोली

परियोजना का नाम:— प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गौचर — डमडमा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत का नाम:-तहसील कर्णप्रयाग, जनपद - चमोली। अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली उत्तराखण्ड में गौचर – डमडमा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि आरक्षित वन भूमि— 1.330 है0, सिविल वन भूमि— 3.640 है0 कुल 4.970 है0 का ग्राम्य विकास विभाग / संख्या के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत...कि.एडी......द्वारा दिनांक 3/12/2014 को सम्पन्न ग्राम समा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापित्त प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेत् आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम....का के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 4.970 है। प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हैं।

विश्वा-कर्णायम ज्या

यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र- 23.1

दिनांक 1x/12/2014 को ग्राम समा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति। ग्राम पंचायत का नाम:- किंग्डा

क.सं.	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.		Sou
2.	» बिज्यासिह अ. १ अमर् सिंह	Jamusa
3.	ा श्वेन्द्रासिंड इ.ग गुसाई सिंह	ANDERS
4.	" नरेन्द्र सिंह झा वहाबीर सिंह	1275 PS
5.	1) भरतासिंह क्या नन्दनासिंह	Bhangsug tu
6-	1, हमात सिंह अ, नन्दन सिंह	Huyed singl
7-	" जीतपाल बिंह अ, इयाम सिंह	leed to
8-	क भगतासे इ , स्याम सिंह	भगगर्तह
9-	ग देवेन्द्र सिंह भ्रा सिताब सिंह	रेनेडिलर
10-	" होर सिंह अ" इन्द्र सिंह	#
11-	" न्यंगाम सिंह र्रा" रिवटवा सिंह	रमगाभाषट
12.	1) मुरला सिंह इ , स्टबन सिंह	TCB84-
13-	" शिषुपाल सिंह अ, कलम सिंह	12 12 mets
14	ा आपाद सिंह दें। वैसा सिंह	314516
15-	१) मदन एड इ, प्नम रिं	Jearl
16-	ं ही सियार दि अ, रिपाल सिंह	केरिया परिष्
17-	" गजापहन सिंह कु । अभाम सिंह	\$1614N
18-	श्रीमती युष्पा विष्ट पीठ लक्ष्मणासिट	Courts-
19-) निर्दी देवी धीठ गुगासिह	00 11
20-	» अमिला हो भी भगदिशासि	37/01/69
21-) अशान्त देवी WID संस्पालाहरू	वा मिन्द्रवी
22-	3 मन देवी पणि स्वल्हानासिह	मार्थ द्वा
23-	अ प्रतीमा देवी पाठ सुरवदेवासह	प्रतास हवा
24	3 होरा देवी ७१० द्वार-म्सर	हरा हो।
25	» माहेश्वरी देवी WIO शिष्टरास्तर	मोध्य त्री
26	» भ-लोघी देवी W/o केंशरासिंह	21-114 991



संदर्भ क्षेत्र पेतासुरु वार्ड-१ दवा ते<u>त्रीक कर्णप्रमा</u>न (१०००)

परियोजना का नाम:— प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गौचर — डमडमा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापित्त प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत का नाम:— तहसील कर्णप्रयाग, जनपद — चमोली।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली उत्तराखण्ड में गौचर — डमडमा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि आरक्षित वन भूमि— 1.330 है0, सिविल वन भूमि— 3.640 है0 कुल 4.970 है0 का ग्राम्य विकास विभाग/ संख्या के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन

प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत की ठिट्टी द्वारा दिनांक 2/12/2014 को सम्पन्न ग्राम समा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसमा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम. सिन्द्रवाद्यों के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 4.970 हैं। प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के

निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हैं।

ह0 कार्य कार्य सम्बद्धिता स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्य

सदस्य क्षेत्रं पेश्रायत वार्ड-1. हवा वितरक्ति कर्मात्रवाच (चमाली) स्ति वंशायत कीण्डा (मिल्लाका १ हिटा कुट ने भवने । । १ कर्णप्रयाग (सार्गा

नोट:— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र- 23.1

दिनांक 12/12/2014 को ग्राम समा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति। ग्राम पंचायत का नाम:-

क.सं.	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	मीबरेन्द्र सिंह डू, " होरे सिंह	Bers.
	" दिरुपाति सिंह न् " वस्ति सिंह	Lighals
3-	" राजेन्द्र सिंह १." मोहन सिंह	राजन्द्री
4.	" ग्रमान सिंह ५." अमराव सिंह	गमानाम
5.	" गाविन्द्र सिंहं भू " गुमान सिंह	1/1/9-4/6
6-	न्त्रीमती मीना देवी ग्लू न्योतीरेन्द्र सिंह	मीतादेवी
	अ केवर सिंह अ न्यी मोहन सिंह	1011
6-	s) सेनासिं इ. 1) माहनासिंह	On Sul
9-	ग राजपात सिंह इं. ग द्योर सिंह	शाला प्राप्त
	, पूर्वासिंह म , वान्यम सिंह	Gerran Cont
10		Ward W.
		11/
,		
		-
		- A
	deliver street (Bray)	

सदस्य क्रांप्रवाग (क्रांप्रवाग क्रांच-1. दवा विवस्त्र क्रांप्रवाग (क्रांप्रवाग क्रांच-1. दवा परियोजना का नाम:— प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गौचर — डमडमा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापित्त प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत का नाम:— तहसील कर्णप्रयाग, जनपद — चमोली। अनापित्त प्रमाण पत्र

जनपद चमोली उत्तराखण्ड में गौचर — डमडमा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि आरक्षित वन भूमि— 1.330 है0, सिविल वन भूमि— 3.640 है0 कुल 4.970 है0 का ग्राम्य विकास विभाग/ संख्या के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत विर्माण द्वारा दिनांक ! /12/2014 को सम्पन्न ग्राम समा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापित्त प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

वर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम. तोक्तरेश के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 4.970 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हैं।

ग्रीम सन्दर्भ अधिकारा

नोट:— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

> जीमता देवी भागती शिमला देवी सदस्या गणता महाखोळ (प्रशेती)

प्रपत्र- 23.1

दिनांक 11 /12/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति। ग्राम पंचायत का नाम:-

क.सं.	ग्रामसमा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-		QUCIV (
2.	ग श्जेन्द्र सिंह अ ग आलम। सिंह	(9)
3.	,, मोहनासिंह अ. " आलमासिंह	312-12
1	" हरीशासिंह ४" रवप-वन्द सिंह	
5-	" वन्चन सिंह क् " मिह्समान सिंह	GEING
6-	» सिताव सिंह झ. » ग मेहरमान सिंह	Data S
7-	D.	701914
2		
1 28	of the plants of	
7		1
75%		
	in the state of th	
ind a		
Au		
18		
	3	
	9 B	
		5
	(G) SIN) I GOLD FINE YELLOW AND	E.

विकात देखी भीमती विमृता देखी भवस्या व्यापत भूजां क्षीता (व्योती)



परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गौचर - डमडमा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत का नाम:-तहसील कर्णप्रयाग, जनपद - चमोली। अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली उत्तराखण्ड में गौचर – डमडमा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि आरक्षित वन भूमि- 1.330 है0, सिविल वन भूमि- 3.640 है0 कुल 4.970 है0 का ग्राम्य विकास विभाग / संख्या के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतू आवेदन

प्रस्तृत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जिल्ला द्वारा दिनांक 11 /12 /2014 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेत् विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेत् आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम निकार को प्रामवासियों को उक्त वन भूमि 4.970 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के

निर्माण हेत् दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हैं।

यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र- 23.1

दिनांक 1 /12 / 2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति। ग्राम पंचायत का नाम:- ग्राञ्च पंचायत वरताली

क.सं.	गामसभा में उपस्थित वरिष्ठ गाम वासियों के नाम	इस्ता्क्षर
1-	मामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम, वासियों के नाम	31211m
2-	ं) व्यानीत सिंह इ.ग आलम सिंह	Pal
3-	ा मोहन सिंह अ । अनतार सिंह	
A.	" जगदिशासिंह इ." गाबिन्दासिंह	1201
	ा ताजवर सिंह इ. ग शिव सिंह	JE BISH
S-	ा बलवन्त सिंह हु । मोहन सिंह	12057 - 121 XII
6-	01 0.	elaldelike
7.	20. 0.	400
8-		XICINIZ.
9-		4447646
10.	" दिल्कर सिंहं इ. " हिम्नतासिंह	Boint
11-	" भात सिंह % " बिजय सिंह	MIMITE
12.	,, पुरकर सिंह इ. " कल्याना सिंह	Her
18-	ग केवर सिंह अ ग माहन सिंह	84
14.	ा भूपाल एकि इ. ग न्यागा सिंह	भूपालाद्ये
15	ग शिवासिं इ. ग भेवड सिंह	21412
16-	ग महिमाननीन इ.ग इता रिं लाल	Healt
17.	1) आनन्द सिंड डा स्टिन्द्र सिंह	A2.C)
18.	" महिन्द्र सिष्टं द्र मलम्ड सिर्ट	2
19-	" भरत कि ध" जीता कि	HEN
20-	, योगेन्द्र सिंहं अ, नरेन्द्रा सिंहं	योगेन्द्रावह
21-), न-दन दि हैं हैं) हिर सिंह	0.0
		PB is the
		- title
	THE	
	Dian.	
	म्बार्स देवी * हैंव	1
	विश्वादिकी * कि कि कार्यमा विश्वाद कार्यम का	19 X
	वंद्र । जना बहुद्रांड (च्छाता)	

परियोजना का नामः— प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गौचर — डमडमा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापित्त प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत का नामः— तहसील कर्णप्रयाग, जनपद — चमोली। अनापित्त प्रमाण पत्र

जनपद चमोली उत्तराखण्ड में गौचर — डमडमा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि आरक्षित वन भूमि— 1.330 है0, सिविल वन भूमि— 3.640 है0 कुल 4.970 है0 का ग्राम्य विकास विभाग/ संख्या के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत... हुन्न हों। दिनांक ।। / 12 / 2014 को सम्पन्न ग्राम समा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसमा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम...हे. स्तु. स्नु. के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 4.970 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हैं।

ग्राम पहार्यत तिकास आहेकान क्षेत्राम सचिव

विश्वा-कर्णायण व्यानी

श्रीमती विमृता देवी तदस्या गुअखोद्या (प्रयोती)

नोट:— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र— 23.1 दिनांक11 /12 / 2014 को ग्राम समा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति। ग्राम पंचायत का नाम:— ग्राम पंचायत कानामः— ग्राम पंचायत कानामः—

क.सं.	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	त्रमा गानपालासह स्वक्रिया सिंह	SAMPHAILE
2.	. ,, महिताब सिंह अं! कलम सिंह	DIEQUENT
3-	ग दलाप सिंह अ! मदन सिंह	300 411
A.	ा, गोविन्द्र सिंहं अ, " स्नासिंह	87118
5-	,, तामक्र सिंहं अ, गप्रेम् सिंहं	C'3100
6-	" रमेशासिंड डा. " माला सिंह	menty
7.	,, वीन सिंहं भू, " आवतार सिंहं	ZI-JUJE
g.	ग उलाब सिंहं डा. ग अवतार विहं	3 grailes
9-	" रवण सिष्टं ना " नारायम सिर्ह	Eule graby
10-	। सिवराजिं है। ११ दरमाना सिंह	12me
11-	,, आनन्द सिंह प्र ग ग्रह्मर्शिंह	3101941
12-	" अर्त सिंहं इ. " मवन सिंह	-NONE
13	11 रहावीर एडं डा. 17 जाल सिंह	25 Ac
14.	11 फते थिं डा. " जान सिंह	ma By
15-	ा विश्वन विष्टं डा. ।। महितावासह	192101/19
16-	11 मातवर सहंडा, 17 अम सिंह	मात्वर्यम्
17.	ग विजय सिर्ट ३/, " शिवलाल सिर्ट	A May on
7.2-	ग विकेन्द्रासिष्टं भ्र.ग मोहतान सिष्टं	E SKITTS
19-	ा मुकाप विद्धं भाग रेनाम ।सिंह	रमाक्तापरिमे
20-	ग गर्मणलायहें इत ग प्रमायहें	second .
21-	ग सुरनीत विहं इंग. १ स्थीम विहं	Sura
22.	" नेर-प्राचिं झा. " सितावासिं	- Jan
28	ा ज्यम्द्र हिंह थु." सेना हिंह	जा थे ० राहे
24.	,, जगिराविंहं अ. मिहतावारिंह	2000
25.	" राजवरासिं ५ " द्रम सिंह	Jash
26.	ग रमेशायिहं इत ग शिवलाल सिंह	Duren
	० - ने में व्याप व्यापत व्यवस्था	

कि अला देवी श्रीमती विगता देवी सदस्या पचायत भग्नखोला (चरोती)

